न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।

उपस्थितः ललिता गुप्ता (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code No. UP6110

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या 3144/2026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1073/2026

CNR No. UPGZ010068952026

विकास उर्फ चाबी पुत्र राजेश धोबी निवासी एस०डी०एम० स्कूल के सामने वाली गली धामा एन्क्लेब राहुल गार्डन लोनी थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या 618/2025

धारा 103(1), 3(5) BNS

थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद।

19-06-2026

1- यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **विकास उर्फ चाबी** की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार राजेश का शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त उसका अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3- अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 20-10-2025 को वादी का लड़का आशू उम्र करीब 22 वर्ष घर से खाना खाकर गया था। समय करीब 20.30 बजे पडोस का रहने वाला लड़का मुन्ना पुत्र मदन ने घर आकर सूचना दी कि आशू को किसी ने गोली मार दी हैं जो घायल अवस्था में कुशी वाटिका में पडा है। सूचना पर वह व उसकी पत्नी सोनिया घायल पडे अपने लड़के के पास गए तथा उसे घायल अवस्था में मोटर साईकिल से जीटीबी अस्पताल दिल्ली लेकर गए, वहां पर डाक्टरो ने मृत घोषित बताया। उसके लड़के आशू की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गयी है। शव जीटीबी अस्पताल में रखा है।

4- आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन विलम्ब से दर्ज की गयी हैं, परन्तु विलम्ब का कोई कारण दर्शित नहीं किया हैं। पुलिस द्वारा सूचना देने वाले का नाम नहीं बताया गया है। वादी की पत्नी सोनिया के बयान में अभियुक्त का नाम नहीं

Digitally signed by LALITA GUPTA
Date: 2026.06.24 10:07:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आया है। गवाह मुन्ना उर्फ तुषार ने भी अपने बयान में अभियुक्त का नाम नहीं लिया है। सिर्फ चाबी नाम से सम्बोधित किया है। अभियुक्त ने कोई भी किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया हैं। घटना वाले दिन अभियुक्त घटना स्थल पर नहीं था तथा अपने निवास स्थान पर था। अभियुक्त व सह अभियुक्तगण ने मृतक को गोली नहीं मारी है। सह अभियुक्त सचिन ठाकुर उर्फ डमरू की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। अभियुक्त दिनांक 29–10–2025 से कारागार में निरूद्ध हैं। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस स्तर पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी के पुत्र पर गोली चलाकर हत्या कारित की गयी है। अभियुक्त कथित अपराध में शामिल रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। सह अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त हो चुका है। इस स्तर पर जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने पर बल दिया गया। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया हैं जिसमें अभियुक्त पर मुकदमा अपराध सवंख्या 51/2023 धारा 323,504 भा०द०सं० व धारा 4/25 आयुध अधिनियम, मुकदमा अपराध संख्या 239/2023 धारा 323,427,452,504 भा०द०सं०, मुकदमा अपराध संख्या 270/2024 धारा 323,324,504 भा०द०सं०, मुकदमा अपराध संख्या 665/2023 धारा 323,324,504 भा०द०सं० दर्ज हैं।

6– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क विस्तृत रूप से सुने गये तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

7– प्रपत्रो के अवलोकन से विदित होता हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अज्ञात व्यक्तियो द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र की हत्या कारित करना अभिकथित किया है। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता हैं कि साक्षी मुन्ना उर्फ तुषार शर्मा ने अपने बयान धारा 180 BNSS में यह कथन किया हैं कि घटना वाले दिन वह चाउमीन का रोल लेने जा रहा था तो खाली पडे प्लॉट के रास्ते पर आशु के साथ सचिन, हीरा, प्रशांत, चाबी कहा सुनी कर रहे थे वहां पर जितेन्द्र उर्फ कालू भी खडा था जब वह चाउमीन रोल लेकर वापस आया तो उसे डमरू मिला और कहा कि आशु को किसी ने गोली मार दी है। साक्षी सोनू उर्फ विजय कुमार ने अपने बयान धारा 180 BNSS में यह कथन किया है कि दीपावली की रात को खुशी वाटिका में खाली पडे प्लॉट के रास्ते पर जितेन्द्र उर्फ कालू के साथ उसका लड़का आशू ताश खेल रहे थे कि समय 7.45 बजे के आस पास प्रशांत शर्मा उर्फ शाहरूख, कालिया वीरू उर्फ वीरेन्द्र शर्मा, विकास उर्फ चाबी, हीरा अली, सचिन ठाकुर मोटर साईकिल से वहां पर आए और कहने लगे कि हम लोग भी ताश खेलेगें तब कालू व उसके लड़के आशू ने ताश लेने से मना किया जिससे चारो गुस्सा हो गये और विकास उर्फ चाबी ने कहा कि इज्जत पर बात आ गयी है। अब हम चारो यहीं पर ताश खेलेगें, तभी उसके लड़के आशू ताश खेलने से मना किया फिर चारो कहासुनी करते हुए उसके घर की ओर जाने वाले रास्ते खाली प्लॉट के पास आ गये और चारो कहासुनी करते हुए कहा कि प्रशांत तमंचा निकाल आशू को आज काम तमाम कर देते है और प्रशांत व विकास उर्फ चाबी ने अपनी अंटी से तमंचा निकाल

लिया और प्रशांत ने आवेश में आकर उसके लड़के आशू को जान से मारने की नियत से अपने हाथ में लिये तमंचे से पेट में गोली मार दी जिससे वह घायल हो गया। चश्मदीद साक्षी जितेन्द्र उर्फ कालू ने अपने बयान धारा 180 BNSS में साक्षी सोनू उर्फ विजयकुमार के उक्त बयानो का समर्थन करते हुए घटना स्थल पर उपस्थित होने एवं अभियुक्त व सह अभियुक्तगण द्वारा मृतक आशू से ताश खेलने को लेकर झगडा करना एवं विकास उर्फ चाबी, सचिन उर्फ डमरू व हीरा के कहने पर प्रशांत ने आवेश में आकर आशु को जान से मारने की नियत से पेट में गोली मारकर घायल करना और मौके से भाग जाना कहा गया है। दौरान विवेचना यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक को पहुंचायी गयी चोटो के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। इस स्तर पर प्रथम दृष्टया केस को देखा जाना है। ऐसी दशा में अभियुक्त की कथित घटना में संलिप्तता प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है।

8– अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता एवं आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध संकलित साक्ष्य आदि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **विकास उर्फ चाबी** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 19–06–2026

(ललिता गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।